

मुजफ्फर नगर के दंगे –कारण व समाधान

पिछले दिनो मुजफ्फर नगर मे साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसमे कई बेगुनाह मारे गये। प्रशासनिक तौर पर मरने वालो की संख्या 47 के आस पास बताई जा रही है। संभव है कि इससे अधिक लोग भी मरे हो। दंगे हिन्दुओं और मुसलमानों के बोच हुए। जिसमे मरने वालों की संख्या स्वाभाविक रूप से मुसलमानों की अधिक दिखती है।

मुजफ्फर नगर के दो दो कारणो से हुए। 1. एक हिन्दू लड़की के साथ छेड छाड। 2. स्थानीय मुसलमानों द्वारा कानून अपने हाथ से लेने की पहल। 1. एक मुसलमान युवक ने एक हिन्दू लड़की के साथ छेड छाड की। लड़की सहमत नहीं हुई फिर भी लड़के ने छेड छाड जारी रखी। लड़की के भाइया ने लड़के के साथ मार पीट की। जिसमे उस लड़के की मृत्यु हो गई। यह घटना दो परिवार तक सीमित थी। उस लड़के के गांव के मुसलमानों ने साम्प्रदायिक स्तर पर इकट्ठा होकर उन दोनो लड़कों को पकड़ लिया और दोनो लड़कों की मार मार कर हत्या कर दी। उसके बाद दोनो पक्ष के लोग साम्प्रदायिक तौर पर अलग अलग इकट्ठे होकर मीटिंग करने लगे। मुसलमानों ने अलग मीटिंग की और हिन्दुआ ने अलग। मुसलमानों की मीटिंग मे भी भड़काउ भाषण दिये गये तथा हिन्दुओं की मीटिंग मे भी। सभी राजनैतिक दलों के लोग साम्प्रदायिक तौर पर मीटिंग मे शामिल होने लगे। मुसलमानों की मीटिंग के बाद कोई टकराव नहीं हुआ किन्तु हिन्दुओं की मीटिंग के बाद वापस लौट रहे हिन्दुआ के साथ अलग अलग मुस्लिम बहुल इलाको मे हमले हुए, जिसमे कुछ हिन्दू लोग मारे गये और कुछ लोग गायब कर दिये गये। इस आक्रमण की तीव्र प्रतिक्रिया हुई और हिन्दुओं ने मुसलमानों पर संगठित होकर आक्रमण किये जिसे गांव के अल्पसंख्यक मुसलमान झेल नहीं सके और रोकने के लिये सेना बुलानी पड़ी। सेना के आने के बाद शान्ति तो अवश्य हुई है, दंगे और हत्याय भी रुकी है, किन्तु साम्प्रदायिक विश्वास अभी तक नहीं बन सका है। बड़ी मात्रा मे मुसलमानों का पलायन हुआ है, जिन्हे लौटने मे कुछ समय लगना स्वाभाविक है। चकि घटनाएं लड़की के साथ छेड़छाड तथा मुसलमानों द्वारा सामूहिक आक्रमण की पहल के दो कारणो पर आधारित है, अतः दोनो कारणो पर अलग अलग विचार करके ही समाधान खोजा सकता है।

स्पष्ट है कि छेड़छाड के मामले लड़का के द्वारा ही होते हैं, लड़कियों के द्वारा तो नहीं के बराबर। छेड़छाड की घटनाएं विवाहित महिलाओं के साथ भी कम होती हैं। मैंने तो नहीं सुना कि विवाहित महिलाओं पर भी कभी तेजाब फका जाता हो अथवा विवाहित महिलाओं के कारण भी ऐसे दंगे होते हो। हो सकता है अपवाद स्वरूप हुए भी हों लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। छेड़छाड की घटनाएं आपस मे तो होते रहती हैं, लेकिन मुस्लिम युवकों के द्वारा हिन्दू लड़की के साथ छेड़छाड की घटनाओं का प्रतिशत ज्यादा है और हिन्दू युवकों द्वारा मुस्लिम लड़की के साथ छेड़छाड की घटनाओं का प्रतिशत कम। इसके कई कारण हैं। इस्लाम एक संगठन है और हिन्दुत्व एक धर्म। इस्लाम मे चार विवाह तक छूट है। हिन्दू मे एक से अधिक पर रोक है। इस्लाम में हिन्दू लड़की को मुसलमान बना लेना समाजिक दृष्टि से कोई बुराई नहीं मानी जाती बल्कि कुछ न कुछ उसे अच्छा ही माना जाता है। जबकि हिन्दुओं मे इस कार्य को पारिवारिक बुराई भी माना जाता है और समाजिक बुराई भी। इस्लाम मे विवाहित लड़कों द्वारा भी अविवाहित लड़की को बहकाना फुसलाना प्रतिबंधित नहीं है, जो हिन्दुओं मे है तथा हिन्दुओं के लिये तो कानून से भी ऐसा करना वर्जित है। एक कारण और है कि वैसे ही हिन्दू और मुसलमानों मे कुल मिलाकर लड़कियों का अभाव है। जो मुसलमानों मे और भी ज्यादा है, क्योंकि उनमे चार विवाह तक छूट है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि मुसलमान लड़कों हिन्दू लड़कियों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं अथवा अधिक प्रयत्नशाल होते हैं।

ऐसी बात दंगे का रूप लेने का एक दूसरा कारण है—इस्लाम का संगठन होना। मुजफ्फर नगर मे उस छेड़छाड करने वाले लड़के को लड़की क दो भाइयों ने जाकर मारा था, हिन्दुओं ने नहीं। यह पारिवारिक विवाद तक सीमित था। किन्तु इन दोनो लड़कों को उस मरने वाले मुस्लिम युवक के परिवार वालों की जगह गांव के मुसलमानों ने मारा। साम्प्रदायिक आधार पर इकट्ठा होकर मारा। क्याकि मारने वालों मे हिन्दू मुसलमान गांव के सभी लोग शामिल नहीं थे। यह भी सही है कि मरने वाला मुस्लिम युवक एक गुंडा था, जबकि उसे मारने वाले लड़की के दोनो भाई कोई गुंडे नहीं थे। शायद इसके बाद भी हिन्दू और मुसलमानों के बीच तार्किक आधार पर इतना फर्क नहीं दिखता, यदि बैठक से लौट रहे हिन्दुओं को मुसलमानों द्वारा आक्रमण की पहल ना की गई होती। अब चाहे तो आजम खां अपनी राजनैतिक आत्महत्या कर ले अथवा अन्य मौलाना लोग मुलायम सिंह को अपदरथ हो कर दे किन्तु जो अंतर मनो मे आ गया है उसे मिटाने की पहल मुसलमानों को ही करनी होगी, जो वे करेंग नहीं अथवा उनका संगठन करने नहीं देंगा। घटना से स्वाभाविक रूप से अखिलेश सरकार को नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश मे मुसलमानों का जिस तरह एक पक्षीय मनोबल बढ़ रहा था, उसे इस घटना से धक्का लगा। फिर भी मुसलमान वास्तविकता को समझने के लिये ना कभी तैयार हुआ है ना भविष्य मे दिखता है। क्योंकि मुसलमानों को यह विश्वास है कि भारत मे साम्प्रदायिक आधार पर वे एक मान्त्र संगठन है बाकी लोग तो कहीं ना कही विभाजित हैं। मुसलमानों को यह विश्वास है कि “फर्स्ट अटैक इज वेल डिफन्स” की कहावत उन्हे दुनियां मे हर जगह सफलता दिलातो है। भारत मे भी दिलाएगी ही। और वे नहीं समझ पा रहे हैं कि सारी दुनियां मे वे अलग थलग पड़ रहे हैं। भारत भी उनमे से एक है।

विचारणाय ये है कि इसका समाधान क्या है। कुंवारी लड़कियों के साथ ही छेड़छाड की घटनाएं होती हैं, आक्रमण होते हैं बलात्कार होते हैं, तेजाब फेका जाता है, वह भी प्रायः 12–13 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित लड़कियों के साथ। जब से समाज मे लड़कियों का अभाव हुआ है तब से ऐसी घटनाएं और बढ़ी हैं। इन समस्याओं का समाधान सिर्फ कानून से नहीं हो सकता क्योंकि कानून की अपनी सीमाएं होती हैं। वह तो सिर्फ 2 प्रतिशत के आस पास ही अपराधों पर नियंत्रण की शक्ति रखता है। यदि कुल आबादी का 10 प्रतिशत अपराध करने लगे तो कानून ऐसे अपराधों का नहीं रोक सकता। भारत मे तो इतने कानून बना दिये गये कि यदि उन कानूनों का ठीक से पालन हो तो 99 प्रतिशत आबादी को जेलो मे डालना पड़ेगा। इसलिये बढ़ती छेड़छाड की घटनाओं को रोकने के लिये चौतरफा उपाय करने होगे। वैसे तो विवाह जैसे मामलो मे सरकार को काइ कानून बनाना ही नहीं चाहिये और सारा काम परिवार और समाज पर छाड देना चाहिये किन्तु सरकार को कानून बनाना ज्यादा ही जरूरी लगे तो विवाह की च्यूनतम उम्र 12 वर्ष तय कर देनी चाहिये। किसी भी व्यवस्था में गुण और दोष दोनो होते हैं। यदि विवाह की उम्र घटेगी तो कुछ आवादी नियंत्रण पर भी असर पड़ेगा और बाल मृत्यु दर भी बढ़ेगी किन्तु इन सबकी अपेक्षा बलात्कार और छेड़छाड को घटनाएं होना ज्यादा नुकसान देह है। दूसरा काम सरकार को यह करना चाहिये कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को स्वैच्छिक किया जाय न कि प्रोत्साहन के रूप मे। जो महिलाएँ पुरुषों के साथ दूरी घटाना चाहती है उन्हे हल्के फुलके हंसी मजाक सहन करने की आदत भी डालनी होगी तथा बलात्कार को छोड़कर अन्य घटनाओं को तब

तक गंभीरता से नहीं लेना होगा जब तक ऐसी घटनाएँ किसी सीमा को पार करने ना लगे। खुले समाज की व्यवस्था को बंद समाज व्यवस्था पर एकाएक थोपना गंभीर समस्यायें पैदा करेगा।

सामाजिक व्यवस्था में भी कुछ सुधार करने होंगे। महिलाओं का विवाह किसी व्यक्ति से करने की अपेक्षा परिवार से करने की व्यवस्था करनी चाहिये। अर्थात् यदि बड़े भाइ का विवाह होना है तो छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी का उपयोग परिवार की अनुमति से कर सकता है जब तक उसका विवाह न हो जाए। यह व्यवस्था आपको बुरी दिखेगी किन्तु कुछ व्यवस्थाएँ कुछ समये बाद अच्छी दिखने लगती हैं।

साम्राज्यिक दंगों में छेड़ छाड़ की घटनाओं की अपेक्षा साम्राज्यिक आधार पर ध्रुवोकरण ज्यादा नुकसान करता है। मुजफ्फर नगर की घटना में भी यदि उस छेड़छाड़ को घटना को समाज की तरफ से रोकने का प्रयास होता अथवा उन दो लड़कों की हत्या में भी किसी एक सम्प्रदाय के लोग शामिल ना होकर गांव के आम लोग शामिल होते तो दंगा ऐसा रूप ना लेता। आवश्यकता तो इस बात की है कि हिन्दू और मुसलमान अलग अलग संगठनों में होने की अपेक्षा मिश्रित सगठन बनाने का प्रयास करे। मुझे पता चला है कि बरलवी मुसलमान अथवा शिया मुसलमान अथवा सूफी मुसलमान ऐसे साम्राज्यिक ध्रुवोकरण में पीछे रहते हैं, तथा देवबंदी या वहावी आगे रहते हैं। मुसलमानों को चाहिये कि वे कोई अपनी ऐसी पहचान बनावे जिससे उनकी शान्ति प्रियता के प्रति प्रतिबद्धता का आसानी से पहचाना जा सके। अथवा वे अपना पूजा स्थान अलग कर लें अथवा नाम के साथ कोई शब्द जोड़ लें या दाढ़ी मूछ में फर करे लेकिन कोई ना कोई एक सार्वजनिक पहचान तो होनी ही चाहिये कि यह मुसलमान कट्टर वादी मुसलमानों के समूह के साथ नहीं है। संघ परिवार को भी चाहिये कि वह सभी मुसलमानों के साथ एक सा व्यवहार करना छोड़ दे। हिन्दू राष्ट्र का नारा बहुत धातक है। इसी तरह सभी मुसलमान अविश्वसनीय होते हैं ऐसा विचार करना भी धातक होता है। संघ परिवार को चाहिये कि वह सत्ता के लालच में हिन्दू मुसलमान के बीच ध्रुवोकरण ना कराये। यदि ऐसा ध्रुवोकरण होगा अर्थात् सभी मुसलमानों को एक तरफ मानने की भूल होगी तो ऐसे दंगे होना स्वाभाविक है। यदि दंगे कराने से राजनैतिक लाभ होने लगेगा तो आवश्यक नहीं है कि छेड़छाड़ की घटनाएँ ही इसका आधार बन सकती हैं। इसके लिये तो मस्जिद मंदिर की दीवार अथवा धार्मिक झंडे निकालना अथवा अन्य आधार भी हो सकत है। धर्म निरपेक्ष हिन्दुओं का भी कर्तव्य है कि वे संघ परिवार को साम्राज्यिक आधार पर शक्तिशाली ना होने दें तथा धर्म निरपेक्ष मुसलमानों का भी कर्तव्य है कि वे साम्राज्यिक मुसलमानों के हाथों का खिलौना ना बने। यदि ऐसा होगा तो साम्राज्यिक शक्तियाँ हिन्दू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण नहीं करा सकेंगी। फिर भी यदि ऐसा महसूस हो कि मुसलमान संगठन के बल पर अपनी शक्ति बढ़ाने को एक हथियार के रूप में उपयोग करना चाहता है तो लाचारी में गैर मुस्लिम सभी लोगों का एक जुट होकर गुजरात सरीखी घटनाएँ भी दुहरानी पड़े, तो तैयार रहना चाहिये। बार बार दंगे बार बार टकराव के कारण प्रतिदिन के सामाजिक व्यवहार में संदेह और भय के बातावरण की अपेक्षा एक बार में निपटारा कर लेना कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ऐसा निर्णय सूझ बूझ कर होना चाहिये, सामूहिक होना चाहिए संघ परिवार को निन्य की प्रक्रिया से बाहर निकालकर होना चाहिये, प्रशासन की मौन स्वीकृति से होना चाहिये।

छत्तीसगढ़ विकास यात्रा

पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमण सिंह जी ने पूरे छत्तीसगढ़ की एक सघन विकास यात्रा सम्पन्न की। यह यात्रा किसी भी रूप में ना विकास यात्रा थी, ना कोई अन्य यात्रा। यह यात्रा तो पूरी तरह एक चुनावी यात्रा थी जो ठीक आचार संहिता लगने के पॉच-सात दिन पूर्व पूरी कर दी गई। यात्रा का समापन सरगुजा जिले के अंमिकापुर शहर में सम्पन्न हुआ। यात्रा का समापन जिस मैदान में हुआ वह मैदान मेरे घर से कुछ ही कदम की दूरी पर है। यात्रा को मैंने तैयारी से लेकर समापन तक स्वयं देखा तथा अनुभव भी किया। भीड़ की दृष्टि से यात्रा, उम्मीद से कई गुण अधिक सफल रही। रामानुजगंज जैसे बिल्कुल छोटे शहर में जहाँ दस हजार लागों की भीड़ होना असंभव माना जाता है, वहाँ करीब चालीस हजार की भीड़ का जुटना, एक आश्चर्य ही माना जाता है। समापन के समय अंमिकापुर में दो लाख से अधिक लोगों की उपस्थिति भी आश्चर्य जनक ही दिखी। कई घंटे पहले से सड़कों पर सिर्फ पैदल चलने की छूट रखी गई थी। फिर भी चारों ओर से सड़कों पर आने वाले आदमी ही आदमी दिखते थे। सड़कों पर चलने वालों में शहरी लोंगों की संख्या कम थी तथा ग्रामीणों की ज्यादा। मैदान में भी ग्रामीणों की संख्या अधिक थी। अंमिकापुर के अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे शहरों में भी, इसी प्रकार ग्रामीणों की भीड़ उमड़ रही थी। इससे यह स्पष्ट हुआ कि जनता में नरेन्द्र मोदी के नाम का ऑशिक प्रभाव रहा होगा और रमण सिंह का ज्यादा। वैसे भी रमण सिंह प्रसाशनिक क्षमता से लेकर व्यवहार कुशलता में अन्य राजनेताओं की अपेक्षा ज्यादा शालीन और कुशल माने जाते हैं। किन्तु सस्ता चावल देकर रमण सिंह ने ग्रामीणों में एक अलग हो प्रशंसनीय छवि बना ली है। इस वर्ष के चुनावी मौसम में उन्होंने 270 रु. प्रति विकंटल धान की खरीदी पर बोनस देकर भी बहुत ख्याति अर्जित की। भष्टाचार के मामले में भी उनका स्तर राष्ट्रीय औसत से कम रहा है। यदि भीड़ को पैमाना माना जाए तो रमण सिंह ने तीन माह में सम्पन्न हो रहे विधानसभा चुनावों में स्पष्ट बढ़त ले ली है। इस यात्रा में रमण सिंह के साथ उनका लड़का भी साथ-साथ था। ऐसा लगा कि रमण सिंह उसे टेनिंग दे रहे हैं। किन्तु जिस तरह रमण सिंह जी के लड़के के साथ रायपुर का एक कॉर्गेंसी भू-माफिया हर जगह छाया की तरह साथ-साथ रहा, वह कुछ शंकाओं को भी जन्म देता है। कहीं उस लड़के की शराफत अपने पिता के नाम पर धब्बा ना बन जाए।

यह बात भी स्पष्ट है कि उक्त यात्रा पर सरकारी धन पानी की तरह बहा। भीड़ को लाने में सरकारों साधन तो लगे ही, किन्तु प्रशासनिक बल का भी भरपूर उपयोग किया गया। सारा आवागमन रोककर चलने वाली टक या बसें प्रशासनिक स्तर पर भीड़ को लाने के कामों में भेज दिये गये। वैसे तो जोगी जी के कार्यकाल में भी ऐसा होता था, तथा अन्य जगहों में भी ऐसा होगा। परंतु छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने भोड़ जुटाने में जिस ईमानदारी से प्रयत्न किया वह स्पष्ट करता है कि छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों को डॉ. रमण सिंह के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का विश्वास हो चला है। कॉग्स के शासन काल में भीड़ जुटाने में सरकारी साधनों के उपयोग की आलोचना भी होती थी। किन्तु रमण सिंह की इस विकास यात्रा में ऐसी किसी भी आलोचना या विरोध का कही कोई स्वर नहीं सुनाई दिया। विषय की कॉग्स पार्टी की यदि काई चर्चा होती है तो उसका तीन चौथाई हिस्सा अजीत जोगी से हाने वाले टकराव से ही भरा रहता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में कभी ऐसे टकराव की चर्चा भाजपा में नहीं दिखी और ना है। यदि किसी टकराव की आशंका दिखती है तो रमण सिंह अपनी सूझबूझ से इस टकराव को टाल देते हैं। अब तो छत्तीसगढ़ में आम आदमी यह बात मानने लगा है कि अजीत जोगी जब तक कॉग्स में है, तब तक रमण सिंह को कोई खतरा नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के सर्वर्णों में राजनैतिक

भेदभाव भूलकर अजीत जागी के प्रति एक गंभीर घृणा का भाव है तथा आदिवासियों में अब तक सवर्णों के प्रति किसी तरह का कोई ध्वनीकरण नहीं हो पाया है।

सरगुजा जिला और बस्तर जिला दोनों ही नक्सलवादी क्षेत्र हैं। बस्तर जिले से यात्रा आती-आती सरगुजा जिले में सम्पन्न हुई। दोनों के बीच लगभग आठ सौ किमी की दूरी है तथा दोनों के बीच आपस में कोई नक्सलवादी जुड़ाव नहीं है। बस्तर-ऑध, महाराष्ट्र का सीमावर्ती क्षेत्र है, तो सरगुजा-झारखण्ड और उत्तरप्रदेश का। दोनों क्षेत्रों में एक अन्य भिन्नता भी है कि बस्तर में नक्सलवाद घट रहा है और घटत-घटते अब तो उसके अंतिम अवशेष ही बचते दिखते हैं। यह भी सम्भव है कि रमण सिंह जी ने सरगुजा जिले में यात्रा को समाप्त करके देश को यह संदेश देने की कोशिश की हो, कि किसी नक्सलवादी क्षेत्र में भी रमण सिंह ऐसी सफल समाइँ कर सकता है। उद्देश्य चाहे जो भी हो किन्तु यात्रा और उसके समापन की सफल समाप्ति ऐसा आभाष तो कराती ही है। सभा स्थल पर एक लालकिला जैसी आकृति का भव्य पंडाल बनाया गया था। मेडिया में भी यह संदेश दिया गया कि वह सभा स्थल लालकिले का छाया चित्र है, जहाँ चुनावों के पूर्व ही नरेन्द्र मोदी खड़े होकर छाया प्रधानमंत्री के रूप में अपना भाषण दिये। रमण सिंह के पूरे भाषण में विकास की बातें थीं, गंभीरता थीं तो नरेन्द्र मोदी के पूरे भाषण में केन्द्र सरकार की आलोचना के चुटीले व्यंग्य। यदि कोई व्यक्ति कभी मनमोहन सिंह और नरेन्द्र मोदी का भाषण एक साथ सुन लें, तो समान्यतया मनमोहन सिंह के प्रति श्रद्धा का भाव प्रगट होता है और नरेन्द्र मोदी के प्रति छिछोरापन का। अंमिकापुर में भी रमण सिंह और नरेन्द्र मोदी के बीच यह अंतर साफ दिखा। जैसे मोदी जी के भाषण में लोगों ने कई बार तालियाँ बजा-बजाकर उसका आनंद लिया। मोदी जी ने कहा कि भारत की संसद कोल घोटाले से जुर्डी गायब फाइलों की बहुत चिंता कर रही है, भारत की जनता तो इस बात से चिंतित है कि मनमोहन सिंह के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार ही कई वर्षों से कहीं गायब हो गई है। ऐसी कई अन्य अनेक बातें कहीं गई जो किसी संभावित प्रधानमंत्री के लिए कोई शालोन भाषा नहीं मानी जाती। यह बात सच है कि छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा आय के साधन भी अधिक हैं और भ्रष्टाचार भी कम नहीं है, किन्तु रमण सिंह जी के कुशल संचालन से दुरुपयोग होते हुए भी, धन का सदुपयोग होता है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखण्ड की स्थिति इसके ठीक विपरीत है। रमण सिंह जी की इस यात्रा से मुझे भी यह विश्वास हो चला है, कि रमण सिंह जी अगामी विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। आज का वातावरण तो यही स्पष्ट करता है।

1 राजनंदनी नवले, हेडगेवार कालोनी, सॉची जिला रायसेन मध्यप्रदेश ?

प्रश्न-देश में जागृति लाने के पूर्व हमे अपने अधिकारों की जानकारी होना अति आवश्यक है। आप अपने अधिकारों का उचित उपयोग करे। आप अपने अधिकारों का अनुसरण कीजिय, तो देश का उद्धार अपने आप हो जावेगा। आपकी संस्था में जितने व्यक्ति कार्यरत हैं। उन्हे ही इन अधिकारों के महत्व को समझाने में लगाइये। यदि इन अधिकारों को हमारी देश की जनता समझ ले तो देश में जो बुराईया है वे अपने आप समाप्त हो जावेंगी। हमारा उद्देश्य देश की जनता को भड़काना नहीं, सिर्फ अधिकारों का बोध कराना है।

उ०-आपने देश के नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी होने का बहुत महत्व दिया है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में तो समाज में रहना है तथा नागरिक के रूप में देश में। प्रत्येक व्यक्ति की दुहरी भूमिका होती है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज से भी मौलिक अधिकार प्राप्त है तथा राज्य से भी। ये अधिकार अधिकार के रूप में उसकी अन्तिम सीमा भी है। इसके बाद समाज में उसे कोई स्वतंत्र अधिकार प्राप्त नहीं होता। उसे तो सिर्फ कर्तव्य ही करना है। राज्य द्वारा अपने नागरिकों को मूल अधिकार के अतिरिक्त जो भी अधिकार दिये जाते हैं वे राज्य के द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिये जाते हैं तथा राज्य इन्हे कभी भी वापस ले सकता है तथा लेता भी रहता है। प्रत्येक व्यक्ति को राज्य तथा समाज द्वारा जो मूल अधिकार दिये गये हैं वे अपरिवर्तनशील होते हैं। आवश्यकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को इन मूल अधिकारों की जानकारी कराई जाय। तथा इसके बाद प्रत्येक व्यक्ति को यह बताया जाय की उसक कर्तव्य क्या है। राज्य द्वारा दिये अधिकारों की जानकारी कराना कोई बुरी बात नहीं है किन्तु बहुत आवश्यक भी नहीं है कि हम और काम छोड़ कर नागरिकों को ऐसे परिवर्तनशील अधिकारों की जानकारी कराते रहें। आज अधिकारों की जानकारी की अपेक्षा कर्तव्य की जानकारी का ना होना अधिक संकंट बना हुआ है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति समाज में अधिकारों की जानकारी भी कराता है तो उसे रोकना ठीक नहीं। फिर भी मेरे जैसे व्यक्ति को इस काम में ज्यादा सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए।

2: महावीर त्यागी : हरियाणा प्रदेश-सर्वोदय मंडल। पट्टी कल्याणा पानीपत, हरियाणा।

सुझाव: “ज्ञान तत्त्व” का 270 नं० का अंक जो जुलाई 2013 के प्रथम पखवाड़े अर्थात् 1 से 15 जुलाई 2013 का है मेरे हाथ में है। लोकतंत्र के तीन मुख्य स्तम्भ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। इन तीनों का पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत होना अति आवश्यक है। ये तीनों अपनी मर्यादाओं में रहकर एक दूसरे के पूरक बनकर देश और समाज को आगे बढ़ाने का रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। साथ ही उल्टी दिशा में चल कर समाज और देश का अहित भी बहुत अधिक कर सकते हैं।

इन तीनों संगठनों पर टिप्पणी करने का हक लोक तंत्र में सब को मिला है। परन्तु एक सीमा में रहकर। रोज रोज के घोटाले, इन में लिप्त राजनेता और अफसर शाही से जनता तंग आ चुकी है अतः विधायिका और कार्यपालिका पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। परन्तु इनका जाल इतना मजबूत है कि उस से निकल पाना असम्भव सा लगने लगा है। न्यायपालिका पर अभी भी लोग भरोसा करते हैं। ईश्वर करे यह भरोसा कायम रहे और अधिक मजबूत हो।

लोकतंत्र का मजबूत होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है। इस के लिये जागरूक और बुद्धिमान लोगों का होना बहुत आवश्यक है। सभी रचनात्मक संगठनों को एक जुट होकर लोक जागरण और लोक प्रशिक्षण का कार्य शुरू कर देना चाहिये। प्रशिक्षित लोग और त्यागी लोग ही इस कार्य को कर सकते हैं। आप की राय आनी चाहिये।

आपका बिना तारीख और बिना पत्रांक का आमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। व्यवस्था परिवर्तन मंच तथा लोक स्वराज्य मंच जो लोक स्वराज्य की यात्रा की योजना बना रहे हैं और उस यामी दल को आपका अनुभव पूर्ण सहयोग मिलेगा, उसका शुभ परिणाम आना चाहिये, आयेगा। हरियाणा से हम दो लोग तैयारी सभा में 30 व 31 अगस्त को नोएडा में रहेंगे।

उत्तर: यह सही है कि, वर्तमान समय में लोकतंत्र ही एक मार्ग दिखता है। तानाशाही को लोकतंत्र की दिशा में बदलना उचित कदम है। साम्यवादी देशों में तानाशाही लगातार लोकतंत्र में बदल रही है। मुस्लिम देशों में तानाशाही को लोकतंत्र में बदलने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाना पड़ रहा है। भारत जैसे दक्षिण एशियाई दश स्वतः ही लोकतंत्रिक है। लोकतंत्र भी दो प्रकार का है—एक जहाँ जीवन पद्धति में लोकतंत्र है और दूसरा जहाँ जीवन पद्धति तानाशाही की अभ्यस्त है, तथा शासन पद्धति में लोकतंत्र आ गया है। पश्चिम के लोकतंत्रिक देशों में जीवन पद्धति में लोकतंत्र है। साम्यवाद से लोकतंत्र की आर बढ़ रहे देशों में भी ऑशिक रूप से जीवन पद्धति का लोकतंत्र है। किंतु दक्षिण एशिया के देश अथवा मुस्लिम देशों में लोकतंत्र जीवन पद्धति में नहीं आया। सिर्फ शासन पद्धति तक आकर रुक गया। भारत भी दूसरे प्रकार के देशों में ही है। यहाँ आजादी के 65 वर्षों के बाद भी पुराने राजाओं को आज भी बहुत सम्मान प्राप्त है। यहाँ चुनावों के पूर्व व्यक्ति की छवि निर्मित की जाती है। यहाँ नोतियों को महत्व ना देकर व्यक्तियों को महत्व दिया जाता है। पिछले दस वर्षों से स्पष्ट दिख रहा है कि मनमोहन सिंह लोकतंत्रिक तरीके से नोतियों को महत्व दे रहे हैं। दूसरी ओर नरेन्द्र मोदी कहीं भी किसी भी तरह सिस्टम को ना मानते हैं ना चलते हैं ना मजबूत होने देते हैं। फिर भी नरेन्द्र मोदी मनमोहन सिंह जी से ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पंडित नेहरू भी सिस्टम को कमजोर करके स्वयं को मजबूत करते रहे। आज पंडित नेहरू को अच्छा मानने वालों की संख्या अधिक है और मनमोहन सिंह के लिए नगण्य। विधायिका ने मनमोहन सिंह के पूर्व तक न्यायपालिका को दबाकर रखा है। कार्यपालिका को भी प्रारंभ में दबाया गया तथा बाद में कार्यपालिका स्वयं विधायिका के साथ सहयोग करने लगी। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लगातार न्यायपालिका भी मजबूत हुई तथा कार्यपालिका भी। स्पष्ट है कि पंडित नेहरू, इदिरा गांधी अथवा नरेन्द्र मोदी सरीखे लोग मनमोहन सिंह जी के जगह बैठे होते तो न्यायपालिका अथवा कार्यपालिका केंद्र में भी इतना मजबूत नहीं हो पाते जितना आज है। न्यायपालिका को इस बात का आभार प्रगट करना चाहिए कि मनमोहन सिंह ने उसे मजबूत हाने दिया। किंतु न्यायपालिका ने कभी ऐसा मार्ग नहीं पकड़ा और उसने भी अपने सशक्तिकरण को मनमोहन सिंह जी की कमजोरी के रूप में उपयोग किया। विधायिका पर आम लोंगों का विश्वास नहीं के बराबर है। कार्यपालिका पर भी सामान्य से कम विश्वास है और न्यायपालिका पर सामान्य से ज्यादा विश्वास अब भी बना हुआ है। किंतु न्यायपालिका ने जिस तरह विधायिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप करना शुरू किया उससे विधायिका की प्रतिष्ठा गिरी। यदि उत्तराखण्ड में विधायिका और कार्यपालिका की असफलता की निगरानी न्यायपालिका करने लगेगी तो स्वभाविक है कि उसमें होने वाली गडबडियों की बदनामी भी न्यायपालिका को झेलनी पड़ेगी। दिल्ली में प्याज का मूल्य क्या हो ? यह तय करना या इसमें दखल देना, न्यायपालिका का काम नहीं। यदि न्यायपालिका इन कार्यों में ज्यादा हस्तक्षेप करेगी तो हर आदमी की अपेक्षाएँ भी न्यायपालिका से बढ़ती जाएंगी तथा विधायिका की बदनामी न्यायपालिका के तरफ मुड़ती जाएंगी। अच्छा होता कि न्यायपालिका अपने को तानाशाह समझने की भूल नहीं करती।

लोकतंत्र कोई अंतिम व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र को शासन पद्धति से नीचे आकर जीवन पद्धति तक उत्तरना चाहिए। जिसका अर्थ है लोक-स्वराज्य अथवा सहभागी लोकतंत्र अथवा लोक नियुक्त की जगह लोक नियंत्रित तंत्र कहें। अच्छा होगा यदि हम वर्तमान भारत की वर्तमान लोकतंत्रिक प्रणाली को लोक-स्वराज्य को दिशा देने के लिए, जनमत जागरण शुरू करें। इस सबंध में मेरा तथा हमारे सभी साथियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा।

3 आचार्य पंकज जी

विचार-ज्ञान तत्व 273 पृष्ठ 20 में श्री पी एन मेन्डोला के गंभीर प्रश्न पर बड़े ही हल्के ढंग से समाधान देने का आप ने प्रयास किया है। वर्तमान लोकतंत्र ही पूँजीवाद का गर्भगृह है। आप लिख रहे हैं कि लोकतंत्र पूँजीवाद अलग अलग विचार हैं जो एक साथ जुड़कर साथ काम करते हैं। मेरा विचार है कि पृथक पृथक विचार कभी भी एक साथ नहीं जुड़ सकते। मुण्डे-मुण्डे मतिर्भिन्ना यह शाश्वत सत्य है। आपने सत्य का उदाहरण करते हुए लिख भी दिया है कि लोकतंत्र होगा तो पूँजी का सरकारी करण संभव नहीं है। तानाशाही प्रथमतः पूँजी का सरकारी करण करती है। इसपर भी आप दुविधा में हैं। मार्क्स का विचार असफल नहीं है। साम्यवादी सरकारे असफल होती है। विचार के सत्यता की कसौटी व्यवहार है। विचार, विज्ञान और तर्क की आवश्यकता शृृष्टि के अनादि से है। गांधी का दृष्टिशीप पूँजी के संयोजन का व्यवस्थित समाधान है। गांधी व्यक्तिगत पूँजी विस्तार के स्पीड ब्रेकर है। गांधीवादियों ने इसे नेपथ्य में डाल दिया है। वैसे आप का उत्तर समाधान कारक है कुछ विन्दुओं को छोड़कर। क्षमा करेंगे।

आज ही ज्ञान तत्व अंक 274 मिला जिसे स्वभावानुसार पूरा पढ़ गया। पृष्ठ संख्या 13 से 14 पर श्री सुनील तामगाडगे नागपुर का प्रकाशित पत्र पढ़ा आप ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया है जैसा कि आप का लेखकीय स्वभाव है। ब्राह्मण वृत्ति है जाति नहीं है। इसी लिए आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वृत्ति से ब्राह्मणी सविता से विवाह किया था, यह तो जगजाहिर है। आर्यों के विषय में दयानंद गांधी तथा अम्बेडकर का उदाहरण कदापि निर्णायक नहीं हो सकता। प्रसिद्ध मार्क्सवादी समीक्षक स्व० डा० रामविलास शर्मा की दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रकाशित पुस्तक पश्चिम एशिया और ऋग्वेद प्रमाणित करता है कि आर्य भारत के मूल निवासी हैं। अम्बेडकर के समकालीन डा० सम्पूर्णानंद की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यों का आदि देश विस्तार से प्रमाणित करता है कि आर्य आर्यावर्त भारत के ही मूल निवासी हैं। मोहन जोदलो हडप्पा की खुदाई से प्राप्त वस्तुएँ भी आर्यों की जोवन पद्धति के साक्षात् प्रमाण हैं। इससे स्पष्ट है कि भारत के भूभाग पर ही नहीं भारत के पाताल गर्भ में भी आर्यों का मूल स्थित है। कोई भी ध्रुमकड़ जाति ऋग्वेद जैसी रचना नहीं कर सकती।

आर्य आकमण मिथक एवं सच्चाई के बीच साहित्यिक स्पैत पर ही निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। हड्ड्या सभ्यता और आर्य संस्कृति में कई तरह के मेल हैं। कोई भी पुरातात्विक आर्योंके बाहर से आने को सिद्ध नहीं करता। यहाँ तक की अस्थि अनुसंधान से भी सिद्ध हो चुका है कि पंजाब और गुजरात के लोगों और हड्ड्या सभ्यता में पायी गयी अग्निवेदियों भी आर्य संस्कृति से मेल खाती है। हड्ड्या सभ्यता के कई स्थानों पर गाय बैल और धोड़े के अवशेष पाये गये। यहाँ तक कि हड्ड्या से मिली मुहर भी आर्य संस्कृति से मिलती है। बराह और स्वास्तिक के प्रतोक भी आर्य साहित्य में उपलब्ध है। इसप्रकार हड्ड्या सभ्यता और आर्य संस्कृति में कई अद्भुत समानताएँ हैं। जनसांख्यिकी की वर्तमान अनुसंधानों पर भी यह तथ्य संभव नहीं लगता कि उस समय लगभग ढाई करोड़ आबादी कुछ मुझ्हों भर आर्य हमलावरों द्वारा नष्ट कर दी गयी होगी। हड्ड्या सभ्यता का अंत या तो सरस्वती नदी के सूखने से या फिर जलवायु में हुए किसी आकस्मिक परिवर्तन से हुआ जान पड़ता है। हड्ड्या सभ्यता और आर्य संस्कृति में परस्पर कारण संबंध प्रत्यक्ष है क्योंकि धुमकड़ इतने विस्तृत साहित्य का निर्माण नहीं कर सकते थे। इतिहास के एक समग्र और अखण्ड स्वरूप को समझने के लिए इन दोनों को समझने के लिए इन दोनों पहलुओं के सामंजस्य को दखना होगा। बौद्धायन के स्रोत सत्र से हड्ड्या सभ्यता और आर्य संस्कृति संभवतः ईरान और फांस तक फैली थी। आर्यों ने भारत में उत्तर पश्चिम से प्रवेश किया यह कल्पना ऐतिहासिक भाषा विज्ञान की है पूरातत्व ने (मार्शल से व्हीलर तक) उसे वहाँ से ग्रहण किया, कल्पना निराधार है।

अब मेरी खुली चौती है कि श्री सुनोल तामगाड़गे जैसे तमाम लोग जहाँ चाहे वहाँ आमने सामने बैठकर प्रामाणिक प्रागैतिहासिक संस्कृत पाली प्राकृत ब्राह्मी शौरसेनी तथा पुरातात्विक प्रसिद्ध विद्वानों के समक्ष वाद विवाद सविधा जनक ढंग से कर सकते हैं। पूरे विश्व को आवाज स्फोट अक्षर प्रदान करने वाले (आचार्य पाणिनी) संघोषमहाप्राप्त धनियों वाले भारतीय शब्दों के ईरानी यूरोपियन प्रतिरूपों में संघोषता और महाप्राप्तता का संयोग नहीं होता यह विशेषता केवल भारतीय आर्य भाषाओं की है। यह एक तथ्य भारत पर आर्यों के आकमण सिद्धात को ध्वस्त करने के लिए काफी है।

“ भेद दृष्टि अविघेयम ऋग्वेद

भेद अन्तर दृष्टि मूर्खता है। ”

उत्तर—आपने जो विस्तृत उत्तर दिया है। वह मेरी जानकारी से बहुत अधिक है। मैं इतना नहीं जानता था इसलिये मैंने अपनी सीमा मेरहकर उत्तर दिया। अब आपका उत्तर तामगाड़गे जी को मिलेगा और उनका जो उत्तर आयेगा वह आपको भेजने का प्रयत्न करेंगे।

4 इन्द्रदेव गुलाटी टीचर्स कालोनी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश

विचार—(1) स्वतंत्रता के बाद वीर सावरकर ने तथाकथित परम पूज्यनीय गुरु गोलवलकर से बोलना बन्द कर दिया था।

(2) 1881–1941 में हिन्दू का प्रतिशत 80 से घटकर 74 हो गया।

(3) 1947–2013 में हिन्दू का प्रतिशत 88 से कम होकर 81 रह गया है।

(4) देश में चीन की तरह अनिवार्य परिवार नियोजन की प्रबल आवश्यकता है।

(5) यदि तुष्टीकरणवादी—धर्मनिरपेक्ष—गांधीवादी पार्टियों का शासन लगातार चलता रहा तो भविष्य में हिन्दू का प्रतिशत 50 से कम भी हो सकता है और सत्ता “मुस्लिम—ईसाई” के हाथों में जा सकती है।

(6) केरल में ईसाई 19 प्रतिशत है और मुस्लिम 24 प्रतिशत हैं जबकि मुख्यमंत्री ईसाई बन गया है और राज्य के प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री ईसाई—मुस्लिम बन गए हैं। शेष कम महत्व के 9 मंत्रालय हिन्दुओं को दिए गए हैं।

(7) हिन्दू युवकों—युवतियों से अनुरोध है कि वे अपने परिवारों का आकार बड़ा या मध्यम रखने की मानसिकता रखें।

(8) कडे संघर्ष के बाद 906 वर्षों के पश्चात् प्राचीन राष्ट्र 1947 में स्वतंत्र हुआ जिसे विभाजन के बाद स्वाभाविक रूप से हिन्दू राष्ट्र घोषित किया जा सकता था और सरकारी स्तर पर हिन्दू के आंसू पौछे जा सकते थे।

(9) परतन्त्रता काल में 30 32 छोटे—बड़े मन्दिर भ्रष्ट किए गए थे जिसे भारत की हिन्दू सरकार जीर्णोद्धार कराके हिन्दू समाज को सौंपती। पूरे देश में गौवध बन्दी व शाराब बन्दी लागू होती।

(10) 65 वर्षों में हिन्दू की दुर्गति हुई है। दंगों में वह पिटता है, मार खाता है क्योंकि वह स्वभाव से बचावकारी है। उसका प्रतिशत 88 से घटकर 81 रह गया है।

उत्तर—आपने हिन्दुओं की धटती संख्या पर विस्तार से जानकारी भेजी है उससे मैं सहमत हूँ। भारत में मुसलमानों की संख्या भी बढ़ती रही है तथा ईसाईयों की भी। भारत में मुसलमानों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। विचारणीय ये है कि इसका कारण क्या है? तथा समाधान क्या है? मेरे विचार से भारत में हिन्दुओं की समस्याओं का कारण या तो आप जैसे लोग हैं या संघ परिवार। दुनिया जानती है कि हिन्दू कभी धर्म के नाम पर संगठित नहीं हो सकता। 50 वर्षों में हिन्दुओं को संगठित करने के आप ने भी बहत प्रयत्न किये संघ परिवार ने भी किये तथा शिवसेना ने भी किन्तु हिन्दू कभी संगठित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में यह असंभव प्रयत्न लगातार करते जाना कहाँ तक उचित है यह तो आप लोग ही बता सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग हिन्दू संगठन के नाम पर किसी राजनैतिक उद्देश्य की पूति में लगें हो अन्यथा अब तक के अनुभवों को देखकर आप को अपनी राजनीति में बदलाव करना था। यदि आप धर्म निरपेक्षता तथा सांप्रदायिकता के बोच टकराव करते तो स्वाभाविक है कि मुसलमान प्रत्यक्ष रूप से अधिक सांप्रदायिक होने के कारण इसमें पिछड़ जाता। ईसाई भी इस मामले में हिन्दुओं का मुकाबला नहीं कर पाते। किंतु आपने भी इस दिशा में सोचने की आवश्यकता ही नहीं समझी। आज आप हिन्दू राष्ट्र का धिसा पिटा नारा लगाते रहते हैं जिसे बहुसंख्यक हिन्दू कई बार ठुकरा चुका है तथा आज भी ठुकराने को तैयार खड़ा है। एक मार्ग और था जो इस मार्ग से थोड़ा कठिन है किन्तु सर्वश्रेष्ठ मार्ग है।

यदि धर्म निरपेक्ष तथा सांप्रदायिक के बोच ध्रुवोकरण ना कराकर शराफत तथा अपराधीकरण के बोच कराया जाता तो और भी अधिक अच्छा होता। वैसे सामान्य रूप से सांप्रदायिकता को छोड़कर अन्य मामला के आपराधिक मामलों में हिन्दू मुसलमान तथा ईसाइयों का प्रतिशत लगभग आबादी के बराबर ही है। किन्तु स्वतंत्रता के बाद भारत में समझदारी का प्रतिशत तो घटकर लगभग शून्य हो गया है। शराफत का प्रतिशत भी लगातार घटता ही जा रहा है। न्यायालय में अथवा सरकारी कार्यालयों में सच बोलने वालों का नाम खोजना ही व्यर्थ है किन्तु समाज में भी अब सच बोलने वाले या ईमानदार लोगों का प्रतिशत बहुत तेजी से घट रहा है। हिन्दुओं का प्रतिशत यदि घटकर 88 से 81 हुआ है तो ईमानदार या सत्य बोलने वालों का प्रतिशत तो कई गुणा तक घट गया है। मैं नहीं समझा कि आप को हिन्दुओं की जितनी विंता हुई उससे अधिक शराफत की विंता क्यों नहीं हुई। मैंने लिखा है कि हिन्दुओं की घटती संख्या का कारण या तो आप लोग हैं या संघ परिवार। मैं जानता हूँ कि यह बात आप लोगों को बुरी लगेंगी लेकिन जिसे मैं सच समझता हूँ उसे अपनों के बोच कहना बुरी बात नहीं समझता। सबसे पहले भूल यह हो रही है कि आप जैसे लोगों ने कभी गौंधी हत्या की खुलकर ईमानदारी से निंदा नहीं की जब कि वह कार्य पूरी तरह निंदनीय था। दूसरी भूल यह हो रही है कि आप लोग हिन्दूत्व के नाम पर राजनैतिक रोटी सकने का कार्य कर रहे हैं। स्पष्ट दिखता है कि मुसलमान पूरी तरह संगठित है किन्तु राजनीति से दूर रहकर सभी दलों को अपनी ओर आकर्षित किये रहता है। यहाँ तक कि आप भी खुलकर उनकी आलोचना नहीं कर सकते जब कि सभी दल हिन्दू मुसलमान का सवाल आने पर मुसलमानों के पक्ष में झुक जाते हैं और आप हिन्दुओं के पक्ष में खड़े होकर अलग थलग पड़ जाते हैं।

स्वतंत्रता के तत्काल बाद कांग्रेस पार्टी हिन्दुओं और मुसलमानों के बोच में लगभग तटस्थ थी। मुझे याद है कि इसाई धर्मान्तरण के विरुद्ध कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही नियोगी कमीशन बिठाया तथा धर्म परिवर्तन पर रोक का कानून बनाया था। राजीव गौंधी ने भी थोड़ा तटस्थ हाने का प्रयास किया था। मोरार जी देसाई जा आप के साथ सरकार चला रहे थे उनको भी आपने ठीक से नहीं चलने दिया। नरसिंह राव पूरी ईमानदारी से अयोध्या मंदिर के संदर्भ में न्याय संगत निर्णय लेने के पक्षधर थे किन्तु आप की नजर कहीं और थी। ऐसा लगता है जैसे कि आप हिन्दुओं की किसी समस्या का समाधान किसी और के माध्यम से होते हुए नहीं देखना चाहते थे। क्योंकि समस्या का समाधान हो जाना आपकी राजनैतिक महत्वाकांक्षा को नुकसान पहुँचा सकता था। अब यदि आप की कमज़ोरी का मुसलमान और इसाइ लाभ उठावे तो इसमें नुकसान हिन्दुओं का हो रहा है किन्तु कोई और मार्ग भी नहीं दिखता। क्योंकि जब तक हिन्दू अल्पसंख्यक नहीं हो जाएगा तब तक आप अपनी राजनैतिक रोटी सकने से मानेगे नहीं, और हिन्दू कभी आप को इस तरह साफ साफ नहीं नकार पायेंगे कि आप स्पष्ट रूप से अलग थलग पड़ जाए। अच्छा हो कि आप हिन्दुओं का पोछा छोड़ दें। हिन्दू मुसलमानों और ईसाइयों से वैचारिक धरातल पर दो दो हाथ करने में सफल हो जाए। आप ने लिखा है कि वीर सावरकर माननीय गरु गोलवलकर जी के खिलाफ हो गये थे और उन्होंने उनसे बोलना बंद कर दिया। उग्रवादी या आतंकवादी संगठन में ऐसे टकराव होना कोई नई बात नहीं है। ऐसे टकराव तो नक्सलवादियों में सुनन को मिलते हैं जब नक्सलवादियों को करतूतों से दुखी होकर उसके संस्थापक कानून सान्याल आत्महत्या करते हैं अथवा अनेक मुस्लिम आतंकवादी भी एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। वर्तमान समय में सउदी अरब, सीरिया के प्रधान के खून का प्यासा बना है और अमेरिका के साथ मिल कर उसपर आक्रमण करना चाहता है तो यदि सावरकर ने गोलवरकर जी से बोलना बंद कर दिया था तो यह काई अभूतपूर्व बात नहीं है।

5 सत्यदेव गुप्त सत्य रुदौली जिला फैजाबाद

विचार—मैंने सात आठ महीना पूर्व आपसे निवेदन किया था कि फी मेरी में भी “ज्ञानतत्व” पढ़ने से इंकार करन वालों को पत्रिका भेजना बंद कर दें। हमारे क्षेत्र में मात्र दो लोगों ने सौ—सौ रु. दिये थे 1. कैलाश नारायण तिवारी (अरविंद पुस्तकालय) और श्री विन्ध्यवासिनी मिश्र (रुदौली)। इधर दो मास से किन्तु कारण से मेरा ज्ञानतत्व नहीं मिल रहा है, जबकि 272 वाँ अँक फिर मिला है। इस अँक मेरे कुछ पठनीय और विषेश विचारणीय सामग्री है। पृष्ठ 10 पर “भारत को स्वतंत्रता” कान्तिकारियों के मार्ग से मिली या अहिंसक मार्ग से। यह बहस अनावश्यक है? प्रश्न है कि क्यों अनावश्यक है? सुभाष बाबू का जापान से साठ हजार भारतीय सैनिक मौंग कर असम पर आक्रमण करना गलत था। आजाद हिंद फौज का गठन अँगेजों से युद्ध करने के लिए ही किया गया था। इसमें हार-जीत मरने की विंता करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि यह गलत था तो गौंधी जी का सुभाष को समर्थन ना देना क्या परोक्ष रूप से अँगेजों का समर्थन करना नहीं है? आपके मतानुसार इस युद्ध में 55 हजार भारतीय सैनिक शहीद करवा दिये गए, जो गलत था। परंतु गौंधी—नेहरू के नेतृत्व में (इस अहिंसक युद्ध में) तो भारत के टुकड़े-टुकड़े हो गये, और सरकारी ऑकड़ा अनुसार “सात लाख” भारतीयों का कत्ल हुआ था, यह कितना उचित था? गौंधी का यह कथन कि “मेरी” लाश पर ही पाकिस्तान का निर्माण संभव है। उसके पश्चात भी देश बैटा और पाकिस्तान बन गया, और बात-बात में अनशन करने वाले गौंधी का मौन रहना, कितना उचित था? यदि आजाद हिंद फौज को सफलता मिल जाती तो, क्या तब भी देश खंडित होता, क्या तब भी जन-धन की इतनी ही हानि हुई होती? पृष्ठ सात पर—आपके मतानुसार भारत में “हिन्दू बहुमत” में है। यह कितना भामक सत्य है? कॉर्गेंसी, वामपंथी, कम्युनिष्ट आदि सब अपने को धर्म निरपेक्ष (गैर हिन्दु) कहते हैं। जब कि इन्हीं पार्टियों के लोग अपने को मुस्लिम, इसाई, सिक्ख बौद्ध कहने में परहेज नहीं करते हैं। मुस्लिम, मुसलमान रहते हुए धर्मनिरपेक्ष हो सकता है परंतु अपने को हिन्दु कहने पर वह सॉम्प्रदायिक हो जाता है, हर धर्म के

लोग सेक्युलर कहला सकते हैं, किन्तु हिन्दु कभी सेक्युलर नहीं माना जा सकता। यदि इसी आधार पर जन-गणना कराई जाए तो हिन्दु ही अल्पसंख्यक ही निकलेगा।

ज्ञानतत्व 1-15 अगस्त पृष्ठ (11) पर दसवीं पंक्ति “संघ परिवार” का दुहरा चरित्र स्वयं हिंसा नहीं करते किंतु दूसरों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस पर इंदिरा जी की याद आ गई, जब पूर्वी पाकिस्तान में जनरल नियाजी ने युद्ध छेड़ा और भुट्टो ने चौदह सौ वर्षों तक भारत से युद्ध करने की धमकी दी थी। तब चौदह दिन में ही इंदिरा जी ने पूरब को पश्चिम से जुदा कर दिया था, और संघी अटलजी ने इंदिरा को दुगा का अवतार बताया था। इससे आपको बात सिद्ध हो जाती है कि “संघ” वाले हिंसा स्वयं नहीं करते हैं परंतु दूसरों को उकसाते रहते हैं।

इंदिरा तो तानाशाह थीं, यदि उनके जगह हमारे कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते तो कल्पना करें कि क्या होता ? बांगला देश तो ना बनता, खालिस्तान भले ही बन जाता। क्या आज इंदिरा जी होती, तब भी सीमा पर हमारे सैनिकों के सिर काटे जाते ? क्या आज की तरह उस समय भी बार-बार सीमा पर हत्याएँ होती ? क्या देश के भीतर नक्सलवाद जैसे विषधर फन उठाते और अनेक देश वासियों को काल कवलित कर देते ?

काश कोई ऐसा तानाशाह फिर शासन संभालें जो बार बालाओं के बजाय वीर-बालाओं को प्रतिष्ठापित करें, जो भ्रष्टाचारियों, बलातकारियों का रक्षक बनने के बजाय सभी प्रकार के अपराधियों का दमनकारी हो, जो बिना भेदभाव के सभी जातियों (भारतीयों) को जीने व सम्मान से रहने की गारंटी दे सके, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने को कृत संकल्प हो। कमजोर प्रधानमंत्री केवल अपराधियों, देश द्वोहियों, समाज विरोधियों का प्रिय हो सकता है। हमें धृतराष्ट्र नहीं कृष्ण चाहिए। काश दुर्गा इंदिरा जी होती तो आज द्रोपदी (दुर्गा नागपाल) का चीर हरण न हो पाता। क्या आप अंम्बेडकर जी की 1929 की पत्रिका “बहिष्कृत भारत” वह पैराग्राफ छापने या मुझे देने की कृपा करेंगे ? जिसमें अंम्बेडकर जी ने इस्लाम ग्रहण करने की बात लिखी है।

उत्तर-मैने ज्ञान तत्व के सभी पाठकों को दो बार पत्र भेजे कि आप को ज्ञान तत्व मिलता है या नहीं काम आता है कि नहीं। जिनके उत्तर नहीं आये उनके ज्ञान तत्व धिरे-धिरे कट रहे हैं। कटने वालों को तीसरी बार एक अंतिम पत्र भी जा रहा है और उसके बाद भी उत्तर नहीं आएगा तो हम समझ लेंगे कि उन्हे ज्ञान तत्व मिलता नहीं है या वे पढ़ते नहीं हैं या उन्हे पसंद नहीं हैं। यह अलग बात है कि आप को ज्ञान तत्व लगातार जाता रहा है। संभवतः डाक की गडबडी के कारण आपको मिल नहीं रहा। आपका सोचना है कि भारत की स्वतंत्रता में गांधी के अहिंसक मार्ग को अपेक्षा सुभाष चन्द्रबोस के सैनिक संघर्ष का मार्ग प्रभावशाली था। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि सुभाष चन्द्रबोस का मार्ग भारत को स्वतंत्रता नहीं दिला पाता। गांधी का मार्ग ही उचित था। मैने तो बहस को टालने के लिए लिख दिया था, कि यह बहस अनावश्यक है क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी मार्ग को उपयोगिता प्रमाणित हो चुकी है। गांधी का सुभाष को सर्वथन ना देना किसी भी रूप से अंग्रेजों का सर्वथन तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक गांधी सुभाष के मार्ग को असफल मानते थे। और जब किसी मार्ग के सफलता पर संदेह और कोई अन्य मार्ग उपलब्ध तो सफलता की विश्वास वाले मार्गका सर्वथन किया जाय न कि असफल होते हुए मार्ग का। जैसे कि वर्तमान समय में मुझे विश्वास हो गया है कि संघ परिवार का मार्ग हिन्दूत्व की सुरक्षामें सफल नहीं हो सकेगा तथा दूसरा मार्ग उपलब्ध है तो मैं क्यों संघ परिवार के मार्ग का सर्वथन करूँ। गांधी जी ने जो किया वो ठीक किया। मैंभी रहता तो वही करता धर्म निर्पेक्षता किसी धर्म के लेबल लगने से नहीं आती और न ही किसी लेबल के हटने से आती है। चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो यदि वह दूसरे धर्म की स्वतंत्रता में बाधक नहीं तो उसे धर्म निरपेक्ष माना जा सकता है भले ही वह कितना ही धार्मिक कट्टर क्यों न हो। मैं तो अपने को कट्टर हिन्दू मानता हूँ और कहता भी हूँ। फिर भी मुझे कोई संम्प्रदायिक नहीं कहता।

इंदिरा जी तानाशाह थीं, इसीलिए पाकिस्तान युद्ध का श्रेय भी प्रधानमंत्री को मिला, अन्यथा यह प्रधानमंत्री का काम नहीं होता कि वह गृहमंत्री का भी श्रेय ले ले, और विदेश मंत्री का भी। वर्तमान मनमोहन सिंह सरकार में यदि ऐसा कुछ होगा तो मंत्रि मण्डल निर्णय करेगा और श्रेय भी वही लेगा ना कि मनमोहन सिंह को। प्रधानमंत्री को कभी न तानाशाह होना चाहिए ना मजबूत। गृहमंत्री को अवश्य ही मजबूत होना चाहिए और विदेशमंत्री को भी अथवा रक्षामंत्री को भी।

मुझे याद है कि इंदिरा गांधी से भी ज्यादा जर्मनी में हिटलर को जय जय कार होती थी। और इस जय जयकार नें ही हिटलर के देश को कितने लंबे समय तक गुलाम बना दिया यह इतिहास जानता है। बिना सोचे समझे हिंसक उन्माद यदि हमेशा ही लाभदायक होता तो आज मुज्जफर नगर में इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान नहीं मारे जाते। आप मानते हैं कि देश समाज से बड़ा है। मैं मानता हूँ कि समाज देश से बड़ा है। तानाशाह देश की सीमाओं का विस्तार कर सकता है संभव है कि वह देश के लोगों को गुलाम बना दें। चीन और रूस भी अन्तोगत्वा अपनी नीति बदलने में विवश हुए। अनेक मुस्लिम तानाशाह पिछले वर्ष मारे गये अब प्रा विश्व एक परिवार के समान विकसित हो रहा है। जिसमें ना किसी तानाशाह की भूमिका हो सकती है ना होना चाहिए। आज भारत को वीर बालाओं को प्रतिष्ठित करनें की जितनी आवश्यकता है उससे कम बार बालाओं की नहीं। जब देश की सीमाओं को खतरा हो तब शक्ति की पूजा के राणे भी बज सकते हैं किंतु यदि शासक को आदत पड़ जावे कि वह समाज को गुलाम बनाकर रखने के लिए रोज ही सीमाओं पर आवाज लगाने लगें तो ऐसे झूठे मक्कार शासक से पिण्ड छुड़ा लेना चाहिए। काश दुर्गा रूपी इंदिरा आज होती तो दुर्गा नागपाल जैसी महिला जेल में भी डाली जा सकती थी। आप भूल रहे हैं कि कृष्ण सिर्फ युद्ध प्रिय थें। कृष्ण संतुलित थें संयमित थें। आज देश को ऐसे कृष्ण की आवश्यकता है जो हर बात पर युद्ध का नगाड़ा न बजाने लगें जो पहले हर तरह समझौते का प्रयास करें और यदि अंतिम स्थिति होगी और युद्ध अवश्यम्भवी हो जायेगा तो उस स्थिति में भी मजबूती के साथ टक्कर दी जाय। आपने अंम्बेडकर जी द्वारा 1929में लिखी गई पत्रिका “बहिष्कृत भारत” के अंश मुझे विस्फोट डाटकाम के संजय तिवारी जी से प्राप्त हुए हैं। वे आप को दे सकते हैं आप चाहेंगे तो मैं उनका पता आपको भेज दूँगा।

6 कुलदीप नैयर :— पंजाब के सरी से।

यह दुनिया भर में मालूम है कि भारत भारी आर्थिक संकट में है। लेकिन अभी तक लोग यह नहीं जान पायें हैं कि इस आर्थिक अव्यवस्था को वजह राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और वित्तमंत्री पी. चिंदम्बरम के वे निर्णय हैं जो उन दोनों ने वित्तमंत्री के रूप में लिए हैं। प्रणव मुखर्जी जनवरी 2009 से 2012 तक और उनके पहले चिंदम्बरम 2008 के आखिर तक वित्त मंत्रालय के मुखिया थे। मुखर्जी तो राष्ट्रपति भवन के ऐशों आराम में रहते हैं और चिंदम्बरम अपना बचाव इन बड़े-बड़े गायदों से कर रहे हैं कि वे अभी भी अर्थ व्यवस्था को ठीक करने में लगे हैं। अभी की स्थिति के लिए दोनों जवाबदेह हैं। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसे कदम क्यों उठाए जिससे विकास का तालमेल बिगड़ गया। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता नहीं होने की वजह से यह सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को पता है कि उन्होंने कौन सी गलतियाँ की हैं।

ऐसी गलतियों में से एक है मुखर्जी जी की वह गलती जिसमें उन्होंने एक विदेशी मोबाइल कम्पनी पर 1200 करोड़ रुपये का टैक्स लगा दिया। इस निर्णय को पिछले प्रभाव से लागू किया गया। 8 सितम्बर 2010 को सुप्रीमकोर्ट में मुकदमा हार जाने के बाद सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी कर दिया और फिर वित्त कानून 2010 बनाया ताकि बीत प्रभाव से ही टैक्स लगाने का निर्णय किया जा सके। इस कानूनी प्रावधान से भारत में विदेशी निवेश करने वाले डर गये जबकि निवेश की भारत को सख्त जरूरत है। थाली में भरकर रियायत मिलने के बाद भी वालमार्ट को भारत की धरती तक खींचा नहीं जा सका है। विदेशी निवेशकों ने बड़ी मात्रा में अपना पैसा वापस खींच लिया है। सिर्फ कुछ सप्ताहों के भीतर यह सब हो गया। पैसा वापस ले जाने का यह सिलसिला अभी थमा नहीं है।

प्रधानमंत्री परिणाम का अन्दराजा नहीं लगा पाए। वास्तव में 2008 में जो गड़बड़ी चिंदम्बरम ने पैदा की थी, उसे देखकर प्रधानमंत्री को वित्त मंत्रालय अपने हाथ में ले लेना चाहिए था क्योंकि आर्थिक मामलों में उन्हें महारत है। दुर्भाग्य से कोयला मंत्रालय में वे अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन वित्त मंत्रालय में वे बेहतर कर सकते थे।

भारत कोयले का आयात कर रहा है जबकि इसे निर्यात करना चाहिए था, जो यह पहले करता था। संभव है कि मनमोहन सिंह कोयला खदानों के ऑबटन में हुए भ्रष्टाचार के लिए खुद जिम्मेदार नहीं हों लेकिन हजारों कराड़ों की हेराफेरी हुई है। हो सकता है कि पूरी कहानी बाहर नहीं आए क्योंकि कुछ फाइलें गायब हैं। सरकार ने सुप्रीमकोर्ट के सामने इसे स्वीकार किया है। सरकार इनके लिए “तथाकथित” फाइल शब्द का इस्तेमाल कर रही है।

सीबीआई के मुताबिक 157 फाइलें गायब हैं। गायब फाइलों में कोयला खदानों के ऑबटन से सम्बन्धित कुछ पत्र और टिप्पणियाँ हैं। प्रधानमंत्री यह बताकर कि वे फाइलों के रखवाले नहीं हैं अपने को इस मामले से मुक्त नहीं कर सकते। कोयला विभाग उनके जिम्मे था। इस घोटोले की जांच कर रहे सीबीआई के उच्च अधिकारी ने कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री से पूछताछ करने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि 2006 से 2009 के बीच कोयला मंत्रालय के वे प्रभारी थे। क्या विभाग जो कुछ भी कर रहा था उसमें प्रधानमंत्री की मिली भगत थी क्योंकि उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी संदेह से बाहर है।

दोषी को कानून के गिरफ्त में लाने के लिए वे कुछ कर सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि वे राजनैतिक रूप से कमजोर हैं। उनकी दूसरी गलती यह रही कि वे प्रणव मुखर्जी पर बहुत ज्यादा निर्भर थे और उन्हें मंत्रियों के समूह की कई कमिटियों का अध्यक्ष बना दिया। उन्हें कई कठिनतम समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी दे दी थी। दुर्भाग्य से मुखर्जी जी को अपने वित्त विभाग को संभालने के लिए समय नहीं था और स्थिति बिगड़ने लगी। मुद्रा स्फीति में भारी बढ़ोत्तरी (10प्रतिशत) ने संकट बढ़ा दिया है। एक औसत आदमी की आमदनी पहले जैसी है लेकिन खर्च बढ़ गया है क्योंकि सभी आवश्यक चीजों की कीमत बढ़ती ही जा रही है। उनके जीवन चलाने का खर्च और भी ज्यादा होता अगर सरकार ने पेट्रोल, डीजल, रसाई गैस जैसी चीजों पर सब्सिडी नहीं दी होती। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के मुताबिक उपर के 20 प्रतिशत लोग नीचे के 20 प्रतिशत लागतों के मुकाबले ज्यादा सब्सिडी पा रहे हैं।

संपन्न लोग इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। देश के बड़े व्यापारिक घराने कई सांसदों को पैसा देते हैं और वे यह ख्याल रखते हैं कि इन घरानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचें। लोकसभा चुनाव 10 महीने बाद होना है। लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का खर्च औसतन करीब 10 करोड़ रु. है। राजनैतिक दल कोष के लिए पहले से इन घरानों के संम्पर्क में हैं। वे उनके गलत कामों को चुनौती कैसे दे सकते हैं? इस बात की पुष्टि इसी से हो जाती है कि सभी पॉर्टियों ने एक राय होकर मुख्य सूचना आयुक्त के इस निर्णय से अपने को दूर हटा लिया कि आरटीआई कानून राजनीतिक पार्टियों पर भी लागू होता है।

फिर भी अभी भी समस्या यह है कि वर्तमान आर्थिक संकट से बाहर कैसे निकला जाए। प्रधानमंत्री ने संसद में खुद स्वीकार किया कि “देश कठिन समय का सामना कर रहा है।” यह तर्क देना उचित ही रहेगा कि गड़बड़ी सरकार की वजह से है। कोई शासन नहीं है, कोई नेतृत्व नहीं और ना ही कोई मार्गदर्शन। मझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री के मन में कौन सा सुधार है। उन्हें आर्थिक नितियों फिर तैयार करनी होगी जिसमें रोजगार के अवसर हों, आवश्यक चीजें सस्ती हों और विकास दर जो 50 और 60 के दशक के चार प्रतिशत वाले हिन्दु विकास दर की ओर लौट गई है, मे बढ़ोत्तरी हो। उत्पादन तो तीन प्रतिशत पर ही अटक गया है और इसमें मामूली बढ़ोत्तरी से कुछ बात नहीं बनेगी। मैं चाहता था कि एक नया चुनाव हो गया होता जैसा मैंने तीन महीने पहले कहा था। निवेशकों को दूर रखने वाली अनिश्चितता अब तक खत्म हो गई होती और लोग भी नई सरकार के साथ सहज हो गये होते लेकिन ज्यादातर पार्टियाँ खासकर कांग्रेस के सांसद चाहते हैं कि वे लोकसभा के पूरे कार्यकाल का आनंद लें। उनमें बहुतों को मालूम है कि वे फिर से चुनकर नहीं आएंगे।

राजनैतिक परिदृश्य को लेकर पनपी चिंताओं की छाया भविष्य पर पड़ रही है। जब तक किसी एक पार्टी को पूरी जीत नहीं मिल जाती, जिसकी संभावना बहुत कम है। अगली सरकार भी मिलीजुली होगी। वह कोई कड़े फैसले लेने की स्थिति में नहीं होगी, जबकि गहरे हो रहे संकट पर काबू पा लेने के लिए भारत को इसकी जरूरत है। यह कहना जरूरी नहीं है कि पार्टियों में बुनियादी बातों पर सहमति

होनी चाहिए लेकिन चुनाव के पहले इसकी संभवना नहीं दिखती। चाहे यह अभी हो या बाद मे लकिन यही है जिसकी देश को जरूरत है। हो सकता है मैं ही गलत सोच रहा हूँ। शायद भारत की कहानी समाप्त हो गई सी लगती है, कम से कम आने वाले कुछ सालों के लिए।

उत्तर :- आप बहुत अच्छे विचारक हैं और मैं आपके विचार हमेशा ध्यान से पढ़ता हूँ क्योंकि आप किसी एक विचारधारा से प्रभावित होकर जानबूझकर कोई असत्य नहीं लिखते, इस लेख मे आपने जो कुछ भी लिखा है, उनमें से कुछ बातें मेरे विचार से सही हैं और कुछ सही नहीं दिखी। यह सही है कि तत्कालीन वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी ने एक विदेशी कम्पनी को बारह हजार करोड़ का दण्ड देने के मुददे को व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से जोड़ा। उनकी जिद ने विदेशी निवेशको का बहुत विश्वास तोड़ा। यह भी सही है कि भारत का आयात निर्यात से अधिक है। जिसकी भरपाई के लिए विदेशी निवेशको का भारत में आना अधिक जरूरी था। जो इससे उल्टा हो रहा है। मैं विपक्ष को दोष नहीं देता हूँ क्योंकि उसने विदेशी निवेशको की निरंतर आलोचना की किन्तु सरकार की कार्यप्रणाली तो सोच कर ही होनी चाहिए थी। किन्तु मैं यह नहीं समझा की विदम्बरम ने कहाँ भूल की। मेरे विचार मे तो विदम्बरम ने ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया। मैं यह मानता हूँ कि यदि चिंदम्बरम ने कठोर आर्थिक कदम नहीं उठाये होते तो अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता यह कहना मुश्किल है। आप ने यह लिखा है कि निचले तबको की आर्थिक स्थिति जितनी सुधरती है उससे कई गुना अधिक महगाई बढ़ जाती है। आप की यह बात मेरे विचार में पूरी तरह असत्य है। निचले तबको की भी आर्थिक स्थिति महगाई की अपेक्षा अधिक सुधर रही है। पॉच वर्ष पूर्व जब नरेगा शुरू हुआ था तब नरेगा में दैनिक मजदूरी 60 रुपया दिया जाता था। आज नरेगा की दैनिक मजदूरी 140 रुपये से ऊपर है। निश्चित रूप से पॉच वर्षों में वस्तुओं के मूल्य इतने नहीं बढ़े हैं। टी वी वालों की बाते छोड़ दें। जो प्रतिवर्ष ही वस्तुओं के मूल्य दो गुना बता देते हैं, क्योंकि उन्हे तो यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष का भी कोई कथन भरोसे मंद नहीं होता है। लेकिन चूंकि आपने लिखा ह इसलिए विचार करना आवश्यक है। यदि निचले तबको को दी गई सब्सीडी को जोड़ दे तो महगाई का प्रभाव और भी कम हो जाता। आप की यह बात सही है कि सब्सीडी का लाभ मध्यम या उच्च वर्ग अधिक उठाता है किन्तु यह बात सही नहीं कि निचला तबका बिल्कुल लाभ नहीं उठाता। आप ने एक बात और लिखी है कि मिली जुली सरकारों की अपेक्षा बहुमत वाली सरकार आनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। राष्ट्र की समस्या के समाधान में स्थिर और बहुमत वाली सरकार का होना अच्छी बात है किन्तु ऐसी बहुमत वाली सरकारे हमूशा ही मनमानी करती है निरंकुश हो जाती है और समाज को गुलाम बनाकर रखती है। राष्ट्र उन्नति करता रहे और समाज गुलामी की ओर बढ़ता रहे ऐसी कामना करना भी ठीक नहीं। आपने तत्काल चुनावों की आवश्यकता बताई जिसका मेरे विचार से कोई समाधान नहीं है मेरे विचार में सच बात तो यह है कि सोनिया गांधी ने बीच मे ही राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का गुप्त प्रयास किया और उसके लिए अर्थव्यवस्था को लगातार खराब किया कि इससे दुखी होकर मनमोहन सिंह त्याग पत्र दे दे। लेकिन मनमोहन सिंह ने सबकुछ समझते हुए भी त्याग पत्र देने की इच्छा व्यक्त नहीं की जब तक सोनिया जी प्रत्यक्ष ना कह दे। इस आपसी खीचतान में भारत की आर्थिक व्यवस्था का बंटाधार हो गया। करीब एक वर्ष पहले सोनिया जी को अनुभव हुआ कि इस बदनामी से मनमोहन सिंह की कम और कांग्रेस पार्टीको ज्यादा नुकसान हो रहा है तब उन्होने मार्ग बदला। इसे सुधारते सुधारते काफी समय लग गया। स्पष्ट है कि वामपंथी हर आर्थिक सुधार का विरोध करते थे। वामपंथियों से मनमोहन सिंह मुक्त हुए तो ममता बनर्जी सरीखी स्वार्थी महिला ने मनमोहन सिंह के पैरों को जकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से ममता जी से पिंड छुटा ह तब कुछ गाड़ी आगे बढ़ना शुरू हुई है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि महगाई बढ़ाने वाल कदम है। मेरे विचार मे सच बात यह है कि डीजल पेट्रोल की भारी मूल्य वृद्धि भारत को आर्थिक संकट से उबार सकती है। सस्ता डीजल पेट्रोल भारत की एक समस्या है समाधान नहीं। आप ने कोयला धोटाले की चर्चा की है उसके इस भाग से मैं सहमत हूँ कि हमें कोयले की आयात करने की जगह निर्यात करने लायक होना चाहिए था। किन्तु मैं यह नहीं समझा कि इसमें पूरी सरकार की गलती है या मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह का कौन सा कदम सरकार को कोयला संबंधी निर्णय लेने में बाधक बना। यदि आप जैसा व्यक्ति भी जानते हुए भी रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी को बचाकर बेचारे कठपुतली मनमोहन सिंह को दोषी बताएँगे तो सच बोलन की हिम्मत कौन करेगा। आशा है कि आप इन बातों पर विचार करेंगे।

सचना—1

दिल्ली मे संम्पन्न बैठक को संक्षिप्त जानकारी

30 और 31 अगस्त को अपने देशभर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक संम्पन्न हुई। बैठक का विस्तृत विवरण अगले अंक में जाएगा किन्तु संक्षिप्त सूचना यह है कि करीब एक वर्ष बाद 15 अगस्त से 15 अक्टूबर तक दो महिने की यात्रा पूरे देश भर में होगी। इस यात्रा मे लगभग 120 स्थानों पर मीटिंगें होंगी। प्रयास किया जाएगा कि मीटिंग में मैं अर्थात बजरंग मुनि, आचार्य पंकज, प्रमोद कुमार वात्सल्य, रमेश चौबे तो अवश्य रहेंगे, साथ में अन्य स्थानों पर अन्य प्रमुख कार्यकर्ता भी आ सकते हैं। मीटिंग के लिए हमारे कायालय की ओर से ना किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग दिया जाएगा ना आपसे अपेक्षा की जाएगी। आप चलते समय विदाई के रूप में 11 रु. भी दे सकते हैं। हमारे भोजन या निवास की आप जैसी भी व्यवस्था करेंगे, वह हमारे लिए पर्याप्त होगी और यदि कहीं कोई विशेष दिक्कत होती ह तो उसकी व्यवस्था हम स्वयं भी कर सकते हैं। हम आप पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डालेंगे। आप अपने स्थानीय खर्च के लिए चाहें तो चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। हम आपसे इस खर्च का ना हिसाब मॉगेंगे और ना बचा हुआ धन लेंगे। आप इस बात की योजना बनाएँ कि आप सभा रखना चाहते हैं या बैठक अथवा आपसी चर्चा। यह सब आपके उपर निर्भर करेगा। आप जहाँ-जहाँ भी मीटिंग रखना चाहें, एक स्थान पर या एक से अधिक स्थान पर उसकी सूचना हमें शीघ्र दें। जिससे कि हम अगले दो-तीन महीनों मे ही पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप दे सकें। आपसे निवेदन है कि आप उन स्थानों के नाम हमें लिखकर भेजें जिन्हें हम इस यात्रा मे शामिल करें।

सचना—2

जा साथी हमे, सहयोग समझकर अथवा ज्ञानतत्व का शुल्क समझकर जो राशि भेजना चाहें, वे मेरे पते पर मनीआर्डर कर सकते हैं अथवा अपने रसानीय प्रमुख को भी दे सकते हैं अथवा बैंक में भी (भारतीय स्टेट बैंक) रामानुजगंज 11374646729 नं. पर जमा करा सकते हैं।